कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

क्रमांक : पु.आ.-जोध/विशा/विविध/2020/405 दिनांक : 22.03.2020

-:: आदेश ::-

कोरोना वायरस के संक्रमण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों, "The Rajasthan Epidemic Disease Act,1957" व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ.9(58) M&H/2/09/ पार्ट दिनांक 12.03.2020 के क्रम में मुझे विश्वास करने का कारण है कि आमजन के स्वास्थ्य व जीवन को कोरोना वायरस के संक्रमण की सम्भावनाओं से सुरक्षित रखने हेतु विशेष उपायों की आवश्यकता है।

अतः मैं कालूराम रावत, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात), आयुक्तालय जोधपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए **इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक पु.आ.-जोध/विशा/विविध/2020/396 दिनांक 19.03.2020 के प्रतिस्थापित/वयुत्क्रमण** में यह आदेश पारित करता हूँ कि जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में :-

1. जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, हॉस्पीटल, स्वास्थ्य केन्द्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस, राजकीय/प्राईवेट कार्यालय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान इत्यादि को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ एकत्रित नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इस कार्यालय से अनुमति के पश्चात ही 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह वैधानिक होगा।
2. सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी संगठनों, स्वयं सेवी संगठनों का कोई भी व्यक्ति यथासंभव ऐसे कार्यक्रम जिनमें प्रतिबंधित 5 या 5 से अधिक संख्या में आम नागरिकों के भाग लेने की सम्भावना है, का आयोजन नहीं करेंगे।
3. जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र के समस्त सिनेमाघर, चिड़ियाघर, म्युजियम, ऐतिहासिक स्थल, समस्त पर्यटक स्थल आमजन के प्रवेश के लिए बंद रहेंगे।
4. कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, सभा, धरना, रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा।
5. कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से सम्बन्धित अफवाह नहीं फैलायेगा तथा इन्टरनेट तथा सोशल मिडिया यथा Facebook, Twitter, Whats App आदि के माध्यम दुष्प्रचार नहीं करेगा।
6. आमजन एवं समस्त होटल/टूर ऑपरेटर से यह भी अपेक्षा की जाती है कि विदेश यात्रा से लौटकर आने वाले व्यक्तियों की राजस्थान कोरोना हेल्पलाईन नम्बर 0141-2225624, व जोधपुर आयुक्तालय नियंत्रण कक्ष नम्बर 0291-2650777, 2650778 पर तत्काल सूचना देगे।

22/03/2020

0291-2650900 ☎, 2650903, cp-jodhpur-rj@nic.in✉,
CP Jodhpur (facebook), @cp_jodhpur (Twitter), रोटरी चौराहा के पास, जोधपुर - 342001

7. यह आदेश मानव जीवन एवं लोक-व्यवस्था की सुरक्षा हेतु तथा जन-स्वास्थ्य विक्षुब्ध होने की स्थिति को निर्वारित करने के लिए उपर्युक्त वर्णित आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के कारण लोकहित में तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है एवं उन व्यक्तियों जिनके विरूद्व यह आदेश निर्दिष्ट है, पर सूचना की तामील सम्यक् रूप से कराने की गुंजाईश नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।

चूंकि इस नोटिस को सभी को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं कराया जा सकता है, अतः आदेश को बडे पैमाने पर जनता की जानकारी के लिए प्रचारित किया जावें। इस नोटिस को प्रेस के माध्यम से और सभी कार्यालय (पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, तहसील एवं सभी पुलिस थाना) के नोटिस बोर्ड पर चिपकाकर प्रकाशित किया जा कर सार्वजनिक किया जाए।

यह आदेश दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा।

उक्त आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश आज दिनांक 22.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

OFFICE OF THE DCP HEADQUARTER AND TRAFFIC JODHPUR

(कालूराम रावत)
पुलिस उपायुक्त/
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
मुख्यालय एवं यातायात
जोधपुर

Dy Commissioner of Police
Headquarter & Traffic
Jodhpur

प्रतिलिपिः निम्न को सादर सूचनार्थ -

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं न्याय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
4. पुलिस उपायुक्त पूर्व/पश्चिम, जोधपुर आयुक्तालय ।
5. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पूर्व/पश्चिम जोधपुर आयुक्तालय।
6. समस्त सहायक पुलिस आयुक्तगण, जोधपुर आयुक्तालय को पालनार्थ।
7. समस्त थानाधिकारीगण, आयुक्तालय जोधपुर को पालनार्थ।
8. प्रभारी, पुलिस नियन्त्रण कक्ष, जोधपुर आयुक्तालय।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर को स्थानीय समाचार पत्रों /मीडिया चैनल में प्रचार-प्रसार हेतु।
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जोधपुर आयुक्तालय।

पुलिस उपायुक्त/
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
मुख्यालय एवं यातायात
जोधपुर

Dy Commissioner of Police
Headquarter & Traffic
Jodhpur